संख्या 1741 /VIII/22-श्रम/2006

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून : दिनांक: 20 दिसम्बर -2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार एवं ऋषिकेश के निर्माणाधीन भवन हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक : 7094-95/बजट-15/म0/2007 दिनांक 13,नवम्बर-2007 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या : 979/ VIII/22-श्रम/ 2006, दिनांक 5,जून, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार एवं ऋषिकेश के भवनों के अवशेष निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में संलग्न विवरणानुसार द्वितीय किश्त के रूप में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय हरिद्वार एवं ऋषिकेश हेतु कमशः रूपये 03.00 लाख तथा रूपये 3.80 लाख अर्थात कुल रूपये 6,80,000/- (रूपये छः लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। ।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3- स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उसी मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

4- अंतिम किश्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता आदि की समीक्षा के उपरांत ही निर्गत की जायेगी।

5- शासनादेश संख्या : 979/VIII/22-श्रम/2006, दिनांक 05,जून,2006 में उल्लिखित प्रस्तर-3,4,6,7 तथा प्रस्तर-8 में अंकित समस्त शर्तें (1 से 8 तक) यथावत् प्रभावी रहेंगी ।

6- व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है । स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31,मार्च-2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

7– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

8– कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि भवन का निर्माण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पूर्ण होने के उपरांत ही विभाग को हस्तान्तरित किया जावे ।

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक – 4216 – आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य,आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन, 03– श्रमायुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या 24– वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यू0ओ0 1087/XXVII(5)/2007, दिनांक: 27, नवम्बर–2007 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 721 /VIII/22–श्रम/2008 दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
3– निजी सचिव, मा0 श्रम मन्त्री जी।
4– सम्बन्धित निर्माण एजेंसी ।
5– वित्त अनुभाग–5
6– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
8– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त बजट ।
9– अपर श्रमायुक्त कार्यालय, देहरादून ।
10– सहायक श्रम आयुक्त, हरिद्वार/ऋषिकेश ।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या 1721/VIII/22–श्रम/2006 दिनांक 20 दिसम्बर 2007 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क0सं0	कार्यदायी संस्था	कार्यका नाम	स्वीकृत लागत	2006–07 में अवमुक्त धनराशि	2007–08 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–3 निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून रोड ऋषिकेश	सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार का भवन निर्माण	28.80	20	03.00
2.	—तदैव—	सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, ऋषिकेश का भवन निर्माण	26.75	20	3.80

(रूपये छः लाख अस्सी हजार मात्र)

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।